उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–1034/सत्तर–1–2025–16(12)/2022
लखनऊ : दिनांक : 30 जून, 2025

अध्यक्ष,
महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट,
121 प्रथम तल, डीएलएफ गैलेरिया मयूर विहार,
फेज–1, दिल्ली–110091

---

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद–अयोध्या में आपके द्वारा प्रस्तावित महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध अवगत कराना है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2025) द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची–2 में क्रमांक 48 पर सम्मिलित किया गया है।

इस सम्बन्ध में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के संचालन की अनुज्ञा विषयक अधिसूचना संख्या–1033/सत्तर–1–2025–16(12)/2022 दिनांक 30 जून, 2025 तथा संचालन प्राधिकार पत्र संख्या–1/48/2025 प्रेषित करते हुए अपेक्षा की जा रही है कि संचालन प्राधिकार–पत्र में उल्लिखित शर्तो के अधीन ही उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश का संचालन किया जायेगा।

**संलग्नक–यथोक्त।**

(**गिरिजेश कुमार त्यागी**)
विशेष सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, 110002। (secy.ugc@nic.in)
(2) मंडलायुक्त, अयोध्या मण्डल।
(3) जिलाधिकारी, अयोध्या।
(4) कुलपति, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
(5) कुलसचिव, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
(6) उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
(7) निदेशक, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, लखनऊ।
(8) निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/संस्थागत वित्त विभाग/नगर विकास विभाग/औद्योगिक विकास विभाग।
(9) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–1033 / सत्तर–1–2025–16(12) / 2022
लखनऊ : दिनांक : 30 जून, 2025

**अधिसूचना**

चूँकि, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2025) द्वारा यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) द्वारा महर्षि रामायण, विद्यापीठ ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा प्रायोजित, महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश नाम से एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, पूर्वोक्त विश्वविद्यालय को अयोध्या, उत्तर प्रदेश में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के नाम से चलाने की अनुज्ञा देते हैं।

आज्ञा से,

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

**Uttar Pradesh Shasan**
**Uccha Shiksha Anubhag-1**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 1033 /70-1-2025-16(12)/2022, dated 30 June , 2025:

**Notification**

No. 1033 /70-1-2025-16(12)/2022
Lucknow ; Dated: 30 June , 2025

WHEREAS a private University with the name of Maharishi Mahesh Yogi Ramayan University, Ayodhya, Uttar Pradesh sponsored by Maharishi Ramayan, Vidhyapeeth Trust, Delhi has been established vide the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) as amended by the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance no. 6 of 2025);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 7 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to permit the aforesaid University to operate with the name Maharishi Mahesh Yogi Ramayan University, Ayodhya, Uttar Pradesh in Ayodhya, Uttar Pradesh.

By order,

(M. P. Agrawal)
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

**संचालन-प्राधिकार पत्र संख्या- 1/48/2025**

**महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या, उ0प्र0।**

**प्रायोजक संस्था- महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, दिल्ली ।**

---

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अधीन प्रायोजक संस्था महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, दिल्ली द्वारा निजी क्षेत्र में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-872/सत्तर-1-2023-16(12)/2022 दिनांक 18 मई, 2023 द्वारा प्रायोजक संस्था महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट, दिल्ली को आशय-पत्र निर्गत किया गया। प्रायोजक संस्था द्वारा आशय-पत्र में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 20-11-2024 द्वारा प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा धारा 3 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-77/79-वि-1-2025-2-क-6-2025 दिनांक 16 जून, 2025 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2025 के माध्यम से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के साथ संलग्न अनुसूची-2 में क्रमांक-47 के नीचे क्रमांक 48 पर महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश का नाम सम्मिलित किया गया है।

अतएव उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 7 की उप धारा (1) के अन्तर्गत महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश को शैक्षिक सत्र 2025-2026 से संचालित करने की अनुज्ञा श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) प्रायोजक संस्था महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के लिये ग्राम मांझा बरहटा, परगना हवेली अवध, तहसील सदर, जिला अयोध्या में प्रस्तावित की गयी 20.2569 एकड़ भूमि के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करेगी। भविष्य में निजी विश्वविद्यालय की भूमि का क्षेत्रफल कम नहीं किया जायेगा तथा इसके किसी भी भू-भाग का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपकी संस्था द्वारा राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश के नियमों, अधिनियमों तथा शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

(2) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर संचालित महाविद्यालय को उनसे सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से असम्बद्धीकरण कराते हुए शैक्षिक सत्र 2025-2026 से महाविद्यालय के रूप में छात्रों का प्रवेश लेना बंद कर दिया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय की भूमि अयोध्या विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत है। विश्वविद्यालय के लिये निर्मित भवन विकास प्राधिकरण/नगर निकाय के नियमों से असंगत नहीं होगा तथा भविष्य में संभावित निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) प्रायोजक संस्था द्वारा UGC (Establishment Of And Maintenance Of Standards In Private Universities) Regulations, 2003 तथा समय-समय पर UGC एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(5) निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सम्बन्धित सांविधिक संस्था जैसे आल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया, डिस्टेन्स एजुकेशन काउंसिल, डेन्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन, फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया इत्यादि समय-समय पर दिये गये कार्यक्रम, संकाय, संरचनात्मक सुविधायें, वित्तीय सबलता इत्यादि के सम्बन्ध में न्यूनतम शर्तों को पूरी करेगा।

(6) निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम स्नातक एवं परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम जिसमें पाठ्यक्रम संरचना, विषय-वस्तु (contents), अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धति एवं छात्रों के प्रवेश हेतु योग्यता मानदण्ड सम्मिलित हों, के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रारूप पर सम्पूर्ण सुसंगत सूचनायें इन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने से पूर्व उपलब्ध करायी जायेंगी।

(7) प्रवेश प्रणाली एवं फीस का निर्धारण यू0जी0सी0 एवं अन्य सम्बन्धित सांविधिक संस्था के द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार होगा।

(8) यदि विश्वविद्यालय का कामकाज असंतोषजनक रहता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को बन्द करने हेतु निर्देशित किया जायेगा, जिसका अनुपालन विश्वविद्यालय को अनिवार्यतः करना होगा। ऐसी स्थिति में पूर्व से उसमें नामांकित छात्रों के हितों को सुरक्षित किया जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उप-धारा (ख) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम 2 (दो) करोड़ रूपये के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, खण्ड (ख) में उल्लिखित भवनों से भिन्न अवसंरचनात्मक सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां प्रतिष्ठापित करना तथा आगामी पांच वर्षो में न्यूनतम 6 (छः) करोड़ रूपये के कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां तथा अवसंरचनात्मक सुविधायें (उपरोक्त (ख) में उल्लिखित भवन को छोड़कर) तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए उपक्रम प्रतिष्ठापित किया जायेगा।

(10) प्रत्येक विभाग या शाखा में विनियामक निकायों द्वारा यथाविहित आचार्यों सह-आचार्यों तथा सहायक आचार्यों और सहायक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की नियुक्ति की जायेंगी एवं प्रत्येक

विभाग/शाखा में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत नियमित अध्यापक विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार छात्रों के लिए पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियों, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, खेल-कूदों, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यवस्था की जायेगी।

(12) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय बार काउंसिल और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

(13) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के लिए भविष्य निधि स्थापित की जायेगीं तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जायेंगी।

(14) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्य-प्रणाली के लिये परिनियम, अध्यादेश और विनियम 03 माह में बनाये जायेंगे।

(15) उक्त भूमि में प्रवाहित परम्परागत नाला सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है, अतः सम्पूर्ण नाले को परम्परागत सार्वजनिक नाला माना जाएगा एवं उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन प्रायोजक संस्था द्वारा नहीं किया जाएगा। नाले के सफाई के दृष्टिगत यांत्रिक सफाई कराये जाने हेतु आवश्यकतानुसार नाले के किनारे भूमि प्रायोजक संस्था द्वारा रिक्त रखी जाएगी व नाले के क्षेत्रफल/आकार को यथावत रखते हुए किसी परिसर के अन्दर न लिया जाएगा।

(16) भू-राजस्व से संबंधित अधिनियमों/नियमों/शासनादेशों में प्रचलित विधियों एवं समय-समय पर दिये गये मा0 न्यायालयों के आदेश का अनुपालन किया जायेगा। यदि भविष्य में प्रायोजक संस्था द्वारा घृत भूमि की अधिकारिता/अन्तरण के सम्बन्ध में राजस्व विधि से असंगतता पायी जाती है, तो उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित अथवा अन्य सुसंगत राजस्व विधि में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रायोजक संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उप-धारा (ट) से (द) में उल्लिखित शर्तो, जिनकी पूर्ति किये जाने के सम्बन्धी पत्र दिनांक 20-11-2024 द्वारा वचनबद्धता दी गयी थी, की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(एम0 पी अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।